विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक / विउशिनिफोदु / 2026 / 346

दुर्ग, दिनांक - 28/9/26

(अध्यक्ष — श्री पी. वी. सजीव)
(सदस्य — श्रीमती ममता कश्यप)
प्रकरण क्रमांक: 159
दिनांक: 22/05/2026

मेसर्स गितिका ट्रेडर्स (महादेवा कोल्ड स्टोरेज)
धमधा रोड, चिखली नाका, दुर्ग
बी.पी. नं. **1000221771**
मोबाइल नं. **8602634361**

आवेदक

विरुद्ध

1. कार्यपालन अभियंता (नगर) संभाग,
   छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, दुर्ग।
2. सहायक अभियंता,
   छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड,
   जवाहर नगर जोन, दुर्ग।

अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 28 / 09 / 2026 को पारित किया गया)

1. परिवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक मेसर्स गितिका ट्रेडर्स (महादेवा कोल्ड स्टोरेज), धमधा रोड, चिखली नाका, दुर्ग द्वारा अपने औद्योगिक विद्युत कनेक्शन क्रमांक बी.पी. 1000221771 के परिसर में स्थापित 100 किलोवाट सोलर संयंत्र से संबंधित विद्युत उत्पादन, Import एवं Export यूनिट के आधार पर सही बिलिंग नहीं किए जाने के संबंध में यह शिकायत फोरम के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

आवेदक का कथन है कि उसके परिसर में स्थापित 100 किलोवाट क्षमता का सोलर संयंत्र दिनांक 17.03.2026 से विद्युत प्रणाली के साथ सिंक्रोनाइज किया गया, किंतु सोलर संयंत्र की स्थापना के पश्चात जारी विद्युत बिल में सोलर से संबंधित यूनिट का समुचित समायोजन नहीं किया गया।

आवेदक द्वारा वास्तविक Import/Export एवं सोलर उत्पादन के आधार पर सही बिल जारी किए जाने की मांग की गई है।

2. निर्विवाद तथ्य

मामले में उपलब्ध अभिलेखों एवं उभय पक्षों के कथनों के आधार पर निम्न तथ्य विवादित नहीं हैं :–

1. आवेदक के परिसर में कोल्ड स्टोरेज हेतु औद्योगिक विद्युत कनेक्शन स्थापित है।
2. उक्त कनेक्शन का बी.पी. क्रमांक 1000221771 है।
3. उक्त कनेक्शन का स्वीकृत भार 149 HP है।
4. आवेदक के परिसर में 100 किलोवाट क्षमता का सोलर संयंत्र स्थापित किया गया है।
5. उक्त सोलर संयंत्र को दिनांक 17.03.2026 को विद्युत प्रणाली के साथ सिंक्रोनाइज किया गया।
6. सोलर संयंत्र के साथ नेट स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

3. आवेदक का कथन

आवेदक मेसर्स गितिका ट्रेडर्स (महादेवा कोल्ड स्टोरेज) का औद्योगिक विद्युत कनेक्शन बी.पी. क्रमांक 1000221771 है।

आवेदक के परिसर में 100 किलोवाट क्षमता का सोलर संयंत्र स्थापित किया गया, जिसे दिनांक 17.03.2026 को विद्युत प्रणाली के साथ सिंक्रोनाइज किया गया।

आवेदक का कथन है कि सोलर संयंत्र से विद्युत उत्पादन प्रारंभ होने के बाद भी बिलिंग में सोलर से संबंधित उत्पादन एवं Export यूनिट का उचित समायोजन नहीं किया गया, जिसके कारण आवेदक को अपेक्षाकृत अधिक राशि का बिल प्राप्त हुआ।

अतः आवेदक द्वारा सोलर संयंत्र से उत्पादित विद्युत, Import एवं Export यूनिट को ध्यान में रखते हुए सही बिल जारी किए जाने की मांग की गई है।

4. अनावेदकगण का उत्तर

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजों में मुख्यतः निम्न तथ्य बताए गए हैं :–

1. आवेदक मेसर्स गितिका ट्रेडर्स के 149 HP औद्योगिक विद्युत कनेक्शन क्रमांक 1000221771 के परिसर में स्थापित 100 किलोवाट सोलर संयंत्र को दिनांक 17.03.2026 को नेट स्मार्ट मीटर स्थापित करने के पश्चात एस.टी.एम. संभाग द्वारा सिंक्रोनाइज कर दिया गया था।

2. किंतु नेट Installation पर प्राप्त नहीं

17.03. जारी

2. किंतु नेट स्मार्ट मीटर की स्थापना के पश्चात स्मार्ट मीटर एजेंसी द्वारा उक्त मीटर की SAP में Meter Installation/MI प्रक्रिया समय पर पूर्ण नहीं की गई, जिसके कारण माह अप्रैल 2026 का सोलर बिल समय पर प्राप्त नहीं हो सका।

3. दिनांक 26.06.2026 को संबंधित एजेंसी द्वारा नेट स्मार्ट मीटर की SAP में MI प्रक्रिया पूर्ण की गई।

4. इसके पश्चात अनावेदकगण द्वारा माह अप्रैल 2026 एवं मई 2026 का संयुक्त बिल दिनांक 01.07.2026 को जारी किया गया।

5. अनावेदकगण द्वारा दिनांक 18.03.2026 से 31.05.2026 तक के Import, Export एवं Generation Units का विवरण फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

6. सोलर संयंत्र स्थापित होने से पूर्व मार्च 2025 से मई 2025 तक आवेदक द्वारा कुल 91,946 यूनिट विद्युत खपत की गई थी, जिसके लिए लगभग ₹3,65,430/– का बिल बना था, जिसका भुगतान आवेदक द्वारा किया जा चुका है।

7. सोलर संयंत्र स्थापित होने के पश्चात दिनांक 17.03.2026 से 31.05.2026 तक नेट मीटर में 33,096 यूनिट Import तथा 15,616 यूनिट Export दर्ज हुआ।

8. इस प्रकार उक्त अवधि में नेट खपत 17,480 यूनिट रही, जिसके आधार पर लगभग ₹1,63,671.54/– का बिल बनाया गया।

9. अनावेदकगण के अनुसार सोलर संयंत्र स्थापित होने के पश्चात पूर्व अवधि की तुलना में आवेदक को विद्युत बिल में पर्याप्त आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ है।

10. अनावेदकगण का कथन है कि प्रारंभिक बिलिंग में हुई तकनीकी विसंगति को संयुक्त बिल जारी करते समय सुधार दिया गया है तथा वर्तमान में आवेदक को सही बिल जारी किया जा रहा है।

5. विचारणीय प्रश्न

प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं :–

1. क्या सोलर संयंत्र स्थापित एवं सिंक्रोनाइज किए जाने के पश्चात आवेदक को जारी विद्युत बिल में Import, Export एवं Generation का उचित समायोजन किया गया था?

2. यदि प्रारंभिक बिलिंग में त्रुटि/विसंगति थी, तो क्या अनावेदकगण द्वारा उसका नियमानुसार निराकरण कर दिया गया है?

6. विवेचना एवं निष्कर्ष

फोरम द्वारा आवेदक का आवेदन, अनावेदकगण का जवाब, नेट स्मार्ट मीटर संबंधी अभिलेख, Import/Export/Generation यूनिट का विवरण तथा प्रस्तुत बिलिंग अभिलेखों का सम्यक अवलोकन किया गया।

अभिलेखों के परीक्षण से निम्न तथ्य सामने आते हैं :–

(i) सोलर संयंत्र का सिंक्रोनाइजेशन

आवेदक के परिसर में स्थापित 100 किलोवाट सोलर संयंत्र को दिनांक 17.03.2026 को विद्युत प्रणाली के साथ सिंक्रोनाइज़ किया गया था।

इस प्रकार उक्त दिनांक से सोलर संयंत्र द्वारा उत्पादित विद्युत एवं नेट मीटर के माध्यम से Import/Export का लेखा-जोखा किया जाना आवश्यक था।

(ii) प्रारंभिक बिलिंग में तकनीकी समस्या

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं उनके लिखित उत्तर से यह स्वीकार किया गया है कि नेट स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाने के पश्चात संबंधित स्मार्ट मीटर एजेंसी द्वारा उक्त मीटर की SAP में Meter Installation/MI प्रक्रिया समय पर पूर्ण नहीं की गई।

इसी तकनीकी कारण से अप्रैल 2026 का सोलर बिल समय पर तैयार नहीं हो सका।

अतः फोरम का निष्कर्ष है कि सौलर संयंत्र के सिंक्रोनाइजेशन के पश्चात प्रारंभिक बिलिंग में हुई देरी/असंगति का कारण उपभोक्ता द्वारा विद्युत उपयोग अथवा सोलर संयंत्र की कोई तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि मीटर को billing system SAP में समय पर install/MI न किया जाना था।

(iii) तकनीकी त्रुटि का निराकरण

अभिलेखों के अनुसार दिनांक 26.06.2026 को संबंधित एजेंसी द्वारा नेट स्मार्ट मीटर की SAP में MI प्रक्रिया पूर्ण की गई।

इसके पश्चात अनावेदकगण द्वारा दिनांक 01.07.2026 को अप्रैल 2026 एवं मई 2026 का संयुक्त बिल जारी किया गया।

इस प्रकार अनावेदकगण द्वारा प्रारंभिक तकनीकी समस्या के कारण लंबित बिलिंग को बाद में आवश्यक डेटा के आधार पर पूरा किया गया।

(iv) Import एवं Export यूनिट

फोरम के समक्ष प्रस्तुत विवरण के अनुसार दिनांक 17.03.2026 से 31.05.2026 की अवधि में नेट स्मार्ट मीटर द्वारा :

- Import : 33,096 यूनिट

- Export : 15,616 यूनिट

दर्ज की गई।

इस प्रकार उक्त अवधि की नेट खपत :

33,096 − 15,616 = 17,480 यूनिट

रही।

अनावेदकगण द्वारा इसी नेट खपत के आधार पर ₹1,63,671.54/− का बिल तैयार किया गया।

अतः उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार Export यूनिट को Import यूनिट से समायोजित कर नेट खपत के आधार पर बिल तैयार किया गया है।

(v) सोलर संयंत्र से प्राप्त लाभ

सोलर संयंत्र स्थापित होने से पूर्व मार्च 2025 से मई 2025 की अवधि में कुल 91,946 यूनिट विद्युत खपत हुई थी तथा लगभग ₹3,65,430/- का बिल बना था।

इसके विपरीत सोलर संयंत्र स्थापित होने के पश्चात 17.03.2026 से 31.05.2026 की अवधि में नेट खपत 17,480 यूनिट रही तथा संबंधित बिल ₹1,63,671.54/- का बना।

इससे यह स्पष्ट होता है कि सोलर संयंत्र स्थापित होने के पश्चात आवेदक की ग्रिड से नेट विद्युत खपत में उल्लेखनीय कमी आई है तथा Export Units का समायोजन किया गया है।

(vi) फोरम का निष्कर्ष

उपलब्ध अभिलेखों एवं अनावेदकगण के स्वयं के कथन से यह स्वीकार होता है कि प्रारंभिक अवधि में billing system में meter installation/MI प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण बिलिंग में तकनीकी देरी हुई थी।

किन्तु उक्त तकनीकी त्रुटि को बाद में दिनांक 26.06.2026 को MI प्रक्रिया पूर्ण कर तथा दिनांक 01.07.2026 को अप्रैल एवं मई 2026 का संयुक्त बिल जारी करके दूर कर दिया गया है।

वर्तमान में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर Import एवं Export यूनिट का समायोजन करते हुए नेट खपत के आधार पर बिलिंग की गई है।

अतः फोरम के समक्ष वर्तमान स्थिति में ऐसी कोई राशि या बिलिंग विसंगति प्रमाणित नहीं हुई है जिसके कारण पुनः बिल संशोधित करने का निर्देश दिया जाना आवश्यक हो।

7. फोरम का निष्कर्ष

समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के परीक्षण के पश्चात फोरम निम्न निष्कर्ष पर पहुंचता है :-

1. आवेदक का 100 किलोवाट सोलर संयंत्र दिनांक 17.03.2026 को सिंक्रोनाइज किया गया था।

2. नेट स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाने के बाद SAP में Meter Installation/MI प्रक्रिया समय पर पूर्ण न होने के कारण प्रारंभिक बिलिंग में तकनीकी विलंब हुआ।

3. दिनांक 26.06.2026 को MI प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई।

4. इसके पश्चात अप्रैल एवं मई 2026 का संयुक्त बिल दिनांक 01.07.2026 को जारी किया गया।

5. दिनांक 17.03.2026 से 31.05.2026 तक 33,096 यूनिट Import तथा 15,616 यूनिट Export दर्ज हुआ, जिसके आधार पर 17,480 यूनिट नेट खपत निर्धारित की गई।

6. उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर वर्तमान बिलिंग में Export Units का उचित समायोजन किया गया है।

7. अतः प्रारंभिक तकनीकी त्रुटि का निराकरण अनावेदकगण द्वारा कर दिया गया है तथा वर्तमान में आवेदक को जारी बिल में कोई अतिरिक्त बिलिंग विसंगति प्रमाणित नहीं हुई है।

8. आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम निम्न आदेश पारित करता है :–

1. आवेदक की शिकायत को इस सीमा तक स्वीकार किया जाता है कि सोलर संयंत्र के सिंक्रोनाइजेशन के पश्चात नेट स्मार्ट मीटर की SAP में Meter Installation/MI प्रक्रिया समय पर पूर्ण नहीं होने के कारण प्रारंभिक बिलिंग में तकनीकी विलंब हुआ था।

2. अनावेदकगण द्वारा दिनांक 26.06.2026 को नेट स्मार्ट मीटर की SAP में MI प्रक्रिया पूर्ण कर तथा दिनांक 01.07.2026 को अप्रैल एवं मई 2026 का संयुक्त बिल जारी कर प्रारंभिक बिलिंग संबंधी तकनीकी त्रुटि का निराकरण कर दिया गया है।

3. दिनांक 17.03.2026 से 31.05.2026 तक के Import एवं Export यूनिट का उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार समायोजन किया गया है। अतः वर्तमान अभिलेखों के आधार पर पुनः बिल संशोधन की आवश्यकता नहीं पाई जाती।

4. यदि आवेदक इस आदेश से संतुष्ट न हो, तो वह इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

5. आदेश पारित।

6. प्रकरण उपरोक्त निर्देशों के साथ निराकृत किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.वी. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग